आदेश संख्या

24/5/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर मोई करणसर में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन लोक अदालत की भावना से किया गया। वादी को तलवाना पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी तलवाना पेश नहीं किया गया। अतः वाद बावत आदेश 9 नियम 5 में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर दर्ज नक्शा के नष्ट हो।

NAD करणसर
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
साँभर लेक (जयपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner